



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

अवैध शस्त्र फैक्ट्री बरामद, एक अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा जनपद सीतापुर में अपराध नियंत्रण एवम् अपराध को ही अपनी आय का स्रोत मान कर आपराधिक कृत्य करने वाले अपराधियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

दिये गये निर्देश के क्रम में दिनांक 04.09.2020 को थाना थानगांव पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान दबिश देकर अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए अभियुक्त जमील उर्फ भुरजी पुत्र दूबर नि० ग्राम भदमरा थाना रेउसा सीतापुर को हलीमनगर रसूलपुर रोड वहद ग्राम समलिया थाना थानगांव के पश्चिम बने अर्द्ध निर्मित मकान के पीछे वाले भाग से गिरफ्तार किया है। जिसके कब्जे से मौके 04 अदद देशी तमंचा 12 बोर, 02 अदद बंदूक 12 बोर, 01 एक अदद बन्दूक 12 बोर मरम्मत योग्य, 01 अदद देशी बन्दूक 315 बोर, 01 खोखा कारतूस 12 बोर, 01 खोखा कारतूस 315 बोर अर्द्धनिर्मित, एक अदद देशी तमंचा .38 बोर, 03 अदद देशी तमंचा 12 बोर व अवैध असलहा बनाने के उपकरण बरामद हुआ है। बरामद शस्त्र फैक्ट्री के संबंध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 274/20 धारा 3/5/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर चालान मा० न्यायालय किया जा रहा है। अभियुक्त शातिर किस्म का अभयस्त अपराधी है। जिसके विरुद्ध कई अभियोग पंजीकृत है। जनपद में अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही ऐसे ही चलती रहेगी।

● पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 274/20 धारा 3/5/25 शस्त्र अधिनियम थाना थानगांव, सीतापुर।

● अभियुक्त का नाम व पता -

जमील उर्फ भुरजी पुत्र दूबर नि० ग्राम भदमरा थाना रेउसा सीतापुर ।

- **बरामदगी विवरण-**

04 अदद देशी तमंचा 12 बोर, 02 अदद बंदूक 12 बोर, 01 एक अदद बन्दूक 12 बोर मरम्मत योग्य, 01 अदद देशी बन्दूक 315 बोर, 01 खोखा कारतूस 12 बोर, 01 खोखा कारतूस 315 बोर, एक अदद देशी तमंचा .38 बोर अर्द्ध निर्मित, 03 अदद देशी तमंचा 12 बोर व अवैध असलहा बनाने के उपकरण ।

- **गिरफ्तारी करने वाली थाना तंबौर पुलिस टीम-**

1. थानाध्यक्ष श्री संजीव कुमार
2. उ०नि० श्री सतीश चन्द
3. हे०का० महेश पाल
4. का० संदीप कुमार
5. का० अर्पित तिवारी
6. का० विकल राज

- **आपराधिक इतिहास-**

1. मु०अ०सं० 184/2000 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना रेउसा, ,सीतापुरा
2. मु०अ०सं० 34/16 धारा 25(1-b) आर्म्स एक्ट थाना रेउसा, ,सीतापुरा
3. मु०अ०सं० 309/17 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना रेउसा, ,सीतापुरा
4. मु०अ०सं० 311/17 धारा 25(1-b) आर्म्स एक्ट थाना रेउसा, ,सीतापुरा
5. मु०अ०सं० 274/20 धारा 3/5/25 शस्त्र अधिनियम थाना थानगांव,सीतापुरा

थाना थानगाँव

थानाध्यक्ष
मो. 9454 404269

जनपद - सीतापुर
हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर



